

प्रताप सिंह

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य

3 सितंबर, 1979

[एस. मुर्तजा फजल अली, पी. एस. कैलासम और ए. पी. सेन, जे.जे.]

पंजाब पुलिस नियम- नियम 12.8 (1)- अस्थायी रिक्ति पर अस्थायी आधार पर नियुक्ति- तीन वर्ष बाद सेवाएँ समाप्त - समाप्ति- की वैधता।

अपीलार्थी की सेवाएं, जिन्हें 2 जुलाई 1973 को सहायक पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, सितंबर 1977 में समाप्त कर दी गईं। उच्च न्यायालय ने उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

इस न्यायालय में अपील में, यह तर्क दिया गया कि पंजाब पुलिस नियमों के नियम 12.8 (1) के अनुसार परिवीक्षा की तीन साल की अवधि पूरी होने पर अपीलार्थी को पद पर पक्का माना जाना चाहिए और उसकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश अवैध था।

अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया:

अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। [490 सी]

1. यह सर्वविदित है कि किसी व्यक्ति को परीक्षा पर तभी नियुक्त किया जाता है जब उसे किसी मूल पद पर नियुक्त किया जाता है। अपीलार्थी, एक अस्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, परीक्षा पर नहीं था। नियम 12.8, जो परीक्षा पर नियुक्त अधिकारियों से संबंधित है, इस मामले पर लागू नहीं होता है। [489 एफजी]

2. यह मानते हुए कि नियम 12.8 लागू था, अधिकारी को तब तक पुष्टिकृत नहीं माना जा सकता था जब तक कि ऐसा कोई नियम न हो कि परीक्षा के अंत में पुष्टिकरण के आदेश के अभाव में, कर्मचारी को पुष्टिकृत माना जाना चाहिए। वर्तमान नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए परीक्षा की अवधि बढ़ा दी गई मानी जानी चाहिए। [489 जी]

3. पंजाब राज्य बनाम धरम सिंह [1968] 3 एससीआर 1 में, इस न्यायालय ने माना कि जब पहली नियुक्ति एक विशिष्ट अवधि के लिए परीक्षा पर की जाती है और कर्मचारी को अवधि की समाप्ति के बाद पुष्टिकरण के किसी विशिष्ट आदेश के बिना पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है। नियुक्ति के मूल आदेश या सेवा नियमों में किसी विपरीत संकेत के अभाव में ही उसे परीक्षाधीन पद पर बने रहने के लिए समझा

जाना चाहिए। ऐसे मामले में, कर्मचारी को पद पर वास्तविक अधिकार देने के लिए पुष्टिकरण का एक स्पष्ट आदेश आवश्यक है। [489 बी-सी]

वर्तमान मामले में चूंकि अपीलार्थी के तीन साल पूरे होने के बाद पुष्टिकरण का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा दी गई थी।

पंजाब राज्य बनाम धरम सिंह [1968] 3 एससीआर लागू।

अधीक्षक पुलिस लुधियाना एवं अन्य बनाम द्वारका दास आदि ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 336 को खारिज कर दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 924/1970।

सिविल रिट याचिका संख्या 3219/77 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19-10-1977 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से।

प्रत्यर्थी की ओर से एच.एस. मारवाह, आर.एन. सचथे और ए. सचथे।

न्यायालय का फैसला **फ़ज़ल अली, जे.** द्वारा सुनाया गया।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

द्वारा पारित उसकी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी को 2-7-1973 को अस्थायी सहायक पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 26-9-1977 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गयीं। इस आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, वह इस न्यायालय में आये और न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपील को सुनवाई के लिए हमारे समक्ष रखा गया है।

इस अपील में अपीलार्थी द्वारा लिया गया संक्षिप्त बिंदु यह है कि पंजाब पुलिस नियमों के नियम 12.8(1) के तहत, याचिकाकर्ता को तीन साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर माना जाना चाहिए और चूंकि अपीलार्थी ने इस अवधि या तीन साल को पार कर लिया है, उसे पक्का माना जाना चाहिए और इसलिए, उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं। इस तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी द्वारा *पुलिस अधीक्षक, लुधियाना और अन्य बनाम द्वारका दास आदि* के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है। जहां न्यायालय की ओर से बोलते हुए **सिंघल, जे.** ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

"इसलिए यदि नियम 12.2(3) और 12.21 को एक साथ

पढ़ा जाए, तो ऐसा प्रतीत होगा कि कांस्टेबल रैंक के पुलिस

अधिकारी के मामले में परिवीक्षा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है, क्योंकि संबंधित पुलिस अधीक्षक को उस अवधि के भीतर उसे बर्खास्त करने की शक्ति है। इसका मतलब यह है कि तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद नियम 12.21 के तहत निर्वहन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।"

यह सच है कि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ कुछ हद तक अपीलार्थी के तर्क का समर्थन करती हैं। लेकिन हमारी राय में, डिवीजन बेंच का फैसला सही ढंग से तय नहीं किया गया था क्योंकि इसने *पंजाब राज्य बनाम धर्म सिंह* के मामले में इस न्यायालय की पांच बेंच के फैसले पर विचार नहीं किया था, जहां मामलों की संख्या पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार कहा था:

"इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि जब पहली नियुक्ति या पदोन्नति एक विशिष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाती है और कर्मचारी को अवधि की समाप्ति के बाद पुष्टिकरण के किसी विशिष्ट आदेश के बिना पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, नियुक्ति या पदोन्नति के मूल आदेश या सेवा नियमों में इसके विपरीत किसी संकेत के अभाव में, उसे केवल परिवीक्षाधीन पद पर बने रहने के

लिए समझा जाना चाहिए। ऐसे मामले में, कर्मचारी को पद पर वास्तविक अधिकार देने के लिए पुष्टिकरण का एक स्पष्ट आदेश आवश्यक है, और केवल इस तथ्य से कि उसे परिवीक्षा की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, यह संभव नहीं है यह मानते हुए कि उसकी पुष्टि कर दी गई समझी जानी चाहिए।

इस निष्कर्ष का कारण यह है कि जहां परिवीक्षा की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर कर्मचारी को पुष्टिकरण आदेश के बिना पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, मूल आदेश में इसके विपरीत कुछ भी न होने पर ही एकमात्र संभव दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। नियुक्ति या पदोन्नति या सेवा नियमों का तात्पर्य यह है कि परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि आवश्यक निहितार्थ से बढ़ा दी गई है।"

मौजूदा मामले में, अपीलार्थी को पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, परिवीक्षा पर नहीं और इसलिए, नियम 12.8 जो परिवीक्षा पर नियुक्त अधिकारियों से संबंधित है, इस मामले पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। यह सर्वविदित है कि किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर तभी नियुक्त किया जाता है जब उसे किसी मूल रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो। वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी को केवल

एक अस्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। हालाँकि, यह मानते हुए कि पंजाब पुलिस नियमों का नियम 12.8 अपीलार्थी के मामले पर लागू होता है और तीन साल की परिवीक्षा समाप्त होने के बाद भी वह नियम 12.8 द्वारा शासित होता है, पुलिस अधिकारी को तब तक पुष्टिकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा कोई नियम न हो जो यह प्रावधान करता हो कि परिवीक्षा के अंत में पुष्टिकरण के आदेश के अभाव में, कर्मचारी को पुष्टिकृत माना जाना चाहिए। मौजूदा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन परिस्थितियों में, इसलिए, जैसा कि इस न्यायालय ने धरम सिंह के मामले में कहा था, यह माना जाना चाहिए कि यदि अपीलार्थी के तीन साल पूरे होने के बाद पुष्टिकरण का कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया था, तो यह माना जाना चाहिए कि उसकी परिवीक्षा बढ़ा दी गई थी।

मामले के इस दृष्टिकोण में, चूंकि अपीलार्थी एक अस्थायी हाथ था, इसलिए सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय का ध्यान द्वारका दास के मामले में पंजाब राज्य बनाम धरम सिंह (पूर्वोक्त) के मामले की ओर आकर्षित नहीं किया गया था, जिसका निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया गया है और इसलिए, द्वारका दास मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया बाद का निर्णय सीधे तौर पर बड़ी पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है और इसलिए, इसे खारिज कर

दिया जाना चाहिए। इन कारणों से, हम अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं ढूँढ पा रहे हैं।

तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि उसे कुछ समय के लिए आवंटित सरकारी क्वार्टर को बनाए रखने की अनुमति दी जाए ताकि वह वैकल्पिक आवास ढूँढने में सक्षम हो सके। राज्य के वकील श्री मारवाह को इस उद्देश्य के लिए अपीलार्थी को उचित समय दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, हम अपीलार्थी को पुलिस अधीक्षक को एक शपथ पत्र देने पर उसे आवंटित सरकारी क्वार्टर खाली करने के लिए तीन महीने का समय देते हैं।

पी.बी.आर.

अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, राहुल कुमार द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।